Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

मई 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

13/05/2024 से 19/05/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण बनाम भारत में कृत्रिम आर्द्रभूमि	1 – 5
2.	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C की वर्त्तमान प्रासंगिकता	5 – 9
3.	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि	9 – 12
4.	बिहार के लीची किसानों को हीट वेव (कड़ी गर्मी) से खतरा	12 – 15
5.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का वैश्विक व्यापार अपडेट 2024	15 – 19
6.	भारत में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिकीकरण बनाम खतरे में सुंदरबन अभयारण्य	20 - 23

करंट अफेयर्स मई 2024

जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण बनाम भारत में कृत्रिम आर्द्रभूमि

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप और भारत के सतत् विकास के लिए कृत्रिम आर्द्रभूमियों का उपयोग 'और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के ' जैव विविधता और पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' कृत्रिम आर्द्रभूमियों के लाभ, कृत्रिम आर्द्रभूमियों के प्रकार, आर्द्रभूमियाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण बनाम भारत में कृत्रिम आर्द्रभूमि ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारत में हाल के दिनों में कृत्रिम आर्द्रभूमि समाचारों में इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ये औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक प्राकृतिक, सस्ता और सर्वव्यापी दृष्टिकोण पर आधारित विकल्प प्रस्तुत करती हैं।
- जलीय पारिस्थितिक तंत्र में यह तकनीक पारंपरिक जल उपचार प्रणालियों की तुलना में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी सक्षम और स्थायी प्रकार की प्रणाली होता है।
- इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल को साफ करने में किया जाता है, क्योंकि कृत्रिम आर्द्रभूमि पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ – साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देती हैं जिससे जैव विविधता का संरक्षण होता है।

कृत्रिम आर्द्रभूमि क्या होता हैं ?

- कृत्रिम आर्द्रभूमि जलीय पारिस्थितिक से जुड़ी एक ऐसी इंजीनियरी प्रणालियाँ हैं जो प्राकृतिक आर्द्रभूमि की प्रक्रियाओं का अनुकरण करती हैं ताकि अपशिष्ट जल को साफ किया जा सके।
- ये प्रणालियाँ जल, मिट्टी, और चयनित पौधों का उपयोग करती हैं और इनमें विकसित होने वाले सूक्ष्मजीव प्रदूषकों को तोड़ते हैं,

जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।

कृत्रिम आर्द्रभूमि के प्रकार :

- **उपसतह प्रवाह (SSF) :** इस प्रकार की आर्द्रभूमि में, अपशिष्ट जल को छिद्रयुक्त माध्यम से गुजारा जाता है, जहाँ सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करते हैं।
- **सतह प्रवाह (SF) :** इस प्रकार की आर्द्रभूमि में, जल सतह के ऊपर से प्रवाहित होता है और यह विविध वनस्पतियों के साथ एक सुंदर परिदृश्य बनाता है।

कृत्रिम आर्द्रभूमियों के लाभ :

- **कृत्रिम आर्द्रभूमियों की आवश्यकता :** कृत्रिम आर्द्रभूमियां जलीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जटिल प्रदूषकों को संभालने में जलीय पारिस्थितिक तंत्र के पारंपरिक उपचार तकनीकों से अधिक कारगर और उन्नत उपाय हैं।
- **जैव – विविधता को बढ़ावा और पर्यावरणीय लाभ :** ये जैव – विविधता को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **सबसे सस्ता और कम खर्चीला लागत-प्रभावी होना :** इनका निर्माण और रखरखाव पारंपरिक उपचार संयंत्रों की तुलना में कम खर्चीला होता है। अतः इनसे जुडी प्रणालियों का लागत सबसे कम और सस्ता होता है।
- **पोषक तत्वों का निवारण :** ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। अतः यह पोषक तत्वों के निवारण में भी सहायक होता है।
- **भूमि पुनर्ग्रहण में सहायक :** ये प्रणालियाँ खनन से प्रभावित भूमि को पुनर्स्थापित करने में सहायक होती हैं। जिससे यह भूमि पुनर्ग्रहण में भी सहायक होता है।

भारत में हाल ही में पांच नए वेटलैंड्स को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जो इनके संरक्षण और महत्व को और भी बढ़ाता है।

वर्तमान में कृत्रिम आर्द्रभूमियों का उपयोग :

कृत्रिम आर्द्रभूमियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के जल उपचार में किया जा सकता है। जो निम्नलिखित है –

- **नगरीय अपशिष्ट जल उपचार :** कृत्रिम आर्द्रभूमियाँ नगरीय अपशिष्ट जल के लिए एक प्रभावी द्वितीयक या तृतीयक उपचार प्रणाली के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है और इसे पुन: उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है।
- **चक्रवाती जल प्रबंधन :** ये प्रणालियाँ चक्रवाती जल को साफ करने में सहायक होती हैं, जिससे यह प्राकृतिक जलमार्गों में प्रवेश करने से पहले प्रदूषकों और अवसादों से मुक्त हो जाता है।
- **औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार के लिए अनुकूलित होना :** कृत्रिम आर्द्रभूमियाँ विशेष रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद विशिष्ट प्रदूषकों के उपचार के लिए अनुकूलित की जा सकती हैं।
- **कृषि क्षेत्र में उपयोगी होना :** कृत्रिम आर्द्रभूमियों का उपयोग कृषि अपवाह के उपचार, प्रदूषण को कम करने, और सिंचाई के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है।

भारत में कृत्रिम आर्द्रभूमियों के उदाहरण :

- **दिल्ली में असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य :** दिल्ली के असोला बहती नमक जगह पर स्थित इस कृत्रिम आर्द्रभूमि का उपयोग आस – पास की बस्तियों से आने वाले सीवेज को शुद्ध करने के साथ-साथ वनस्पतियों और जीवों के लिए एक अभयारण्य के रूप में संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- **पश्चिम बंगाल का कोलकाता ईस्ट वेटलैंड्स :** भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता ईस्ट वेटलैंड्स क्षेत्र स्थानीय मछली पकड़ने वालों और कृषि सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करते हुए कोलकाता के अपशिष्ट जल का उपचार करता है।
- **राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिज़र्व :** राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिज़र्व में आसपास के गाँवों के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए कृत्रिम आर्द्रभूमि का उपयोग करते हुए एक अभिनव पहल की गई है।

अतः भारत में स्थित ये कृत्रिम आर्द्रभूमियाँ न केवल पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान देती हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी

लाभकारी होती हैं।

आर्द्रभूमि और कृत्रिम आर्द्रभूमि के बीच मुख्य अंतर :

आर्द्रभूमि और कृत्रिम आर्द्रभूमि के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं –

विशेषता :

- आर्द्रभूमि : यह प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि : यह मानव – निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है ।

उत्पत्ति :

- आर्द्रभूमि : यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, बाढ़ या जल प्रवाह में परिवर्तन के माध्यम से समय के साथ विकसित होता है।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि : इसको मानवों द्वारा जानबूझकर एक विशिष्ट स्थान पर निर्माण किया जाता है।

जल स्रोत :

- आर्द्रभूमि : विविध- वर्षा, भूजल, सतही जल अपवाह।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि : नियंत्रित स्रोत- अपशिष्ट जल, चक्रवाती जल अपवाह, या विशिष्ट जल निकाय।

उद्देश्य :

- आर्द्रभूमि: बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, विविध प्रजातियों के लिये आवास जैसे विभिन्न पारिस्थितिक कार्य।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि: मुख्य रूप से जल उपचार (अपशिष्ट जल, चक्रवाती जल) या जीव आवास जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिये बनाया गया है।

जैव – विविधता :

- आर्द्रभूमि: विशिष्ट आर्द्रभूमि प्रकार के लिये अनुकूलित पौधों, जीवों और सूक्ष्म जीवों के स्थापित।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि: चुने हुए पौधों की प्रजातियों का विकास, जबकि सूक्ष्मजीव समुदाय समय के साथ विकसित होते हैं।

भू – क्षेत्र :

- आर्द्रभूमि: इनका आकर छोटे तालाबों से लेकर विशाल दलदलों तक हो सकता है, जो सामान्यतः बड़े क्षेत्रों को समाहित करता है।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि: इसे जल उपचार आवश्यकताओं के उद्देश्य से बनाया गया है, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि से छोटा हो सकता है।

विनियमन :

- आर्द्रभूमि: अक्सर इन्हें पारिस्थितिक महत्त्व के कारण पर्यावरणीय नियमों के तहत संरक्षित किया जाता है।
- कृत्रिम आर्द्रभूमि: स्थानीय नियमों के आधार पर निर्माण एवं संचालन के लिये अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।

रखरखाव :

- आर्द्रभूमि: स्थापना पश्चात न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- कृत्रिम आर्द्रभूमि: उचित कार्यप्रणाली (जल प्रवाह, पौधों का स्वास्थ्य, तलछट हटाना) सुनिश्चित करने के लिये नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।

कृत्रिम आर्द्रभूमियों से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ :

कृत्रिम आर्द्रभूमियों से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

- **पौधों का चयन :** कृत्रिम आर्द्रभूमियों में प्रभावी पौधों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधे जैसे कैटेल, बुलरश, और सेज, नाइट्रोजन और फास्फोरस को अवशोषित करने में कुशल होते हैं, जबकि अन्य पौधे प्रदूषकों को नष्ट करने में सहायक होते हैं।
- **भूमि की आवश्यकता :** कृत्रिम आर्द्रभूमियों के निर्माण हेतु बड़ी मात्रा में भूमि की जरूरत होती है, जो शहरी क्षेत्रों में एक सीमा और समस्या दोनों ही बन सकती है।
- **उपचार दक्षता :** यद्यपि कृत्रिम आर्द्रभूमियाँ प्रभावी होती हैं, लेकिन वे भारी प्रदूषित जल के लिए पारंपरिक उपचार संयंत्रों के समान शुद्धिकरण स्तर प्राप्त नहीं कर सकती हैं।
- **रखरखाव की आवश्यकताएँ :** कृत्रिम आर्द्रभूमियों के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है ताकि उचित कामकाज सुनिश्चित हो सके और मच्छरों के प्रजनन जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
- **कृत्रिम आर्द्रभूमियों से जुड़ी अन्य चुनौतियाँ :** कृत्रिम आर्द्रभूमियों को अपनाने के लिए स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाने, हित-धारकों की तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार करने, और उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए निरंतर निगरानी और अनुसंधान की जरूरत होती है।

कृत्रिम आर्द्रभूमियों से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ का समाधान / आगे की राह :

भारत में कृत्रिम आर्द्रभूमियों की चुनौतियों के समाधान और उनके सफल कार्यान्वयन के लिए आगे की राह निम्नलिखित हो सकती है –

सर्वोत्तम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना :

- **डिज़ाइन अनुकूलन :** भारत को जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के उन्नत आर्द्रभूमि डिज़ाइन से सीखना चाहिए, जो मुक्त जल सतहों और उपसतह प्रवाह के संयोजन से बहु-चरणीय उपचार प्रणालियों का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं।
- **प्रदर्शन निगरानी :** भारत को कृत्रिम आर्द्रभूमियों की चुनौतियों के समाधान के रूप में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (US Environmental Protection Agency- US EPA) की तरह स्पष्ट प्रदर्शन निगरानी प्रोटोकॉल की स्थापना करनी चाहिए, जिससे उपचार दक्षता को बढ़ाया जा सके और संभावित मुद्दों की पहचान की जा सके।

भारत में निर्मित आर्द्रभूमियों का कार्यान्वयन :

- **नीति और विनियमन का पालन करना :** भारत को कृत्रिम आर्द्रभूमियों के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central

Pollution Control Board- CPCB) द्वारा निर्धारित नीतियों और विनियमनों का पालन करना चाहिए, जिससे इसके डिज़ाइन, संचालन, और रखरखाव के लिए स्पष्ट दिशा – निर्देश प्राप्त हो सकें।

- **वित्तीय साधन का प्रबंधन करना :** भारत को आर्द्रभूमियों के लिए वित्तीय साधन के रूप में इस्मने होने वाले खर्चों के लिए सार्वज-निक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships- PPPs) जैसे वित्तीय तंत्रों का उपयोग करके निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि को जुटाना चाहिए। जिससे ये प्रणालियाँ आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए भी सुलभ हो सकें।
- **प्रदर्शन परियोजनाएँ स्थापित करना :** जलीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कृत्रिम आर्द्रभूमियों के संबंध में भारत के विविध भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में सफल प्रदर्शन परियोजनाओं को स्थापित करना चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर इनकी प्रभाव-शीलता का प्रदर्शन किया जा सके।
- **सामुदायिक सहभागिता को सक्रिय रूप से शामिल करना :** भारत में सरकार को स्थानीय समुदायों को आर्द्रभूमि परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, जिससे उन्हें आर्द्रभूमि परियोजनाओं से जुड़े इन प्रणालियों के लाभों की जानकारी हो और वे स्थानीय समुदाय इनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। जिससे उन स्थानीय समुदायों को भी उनमें स्वामित्व की भावना और दीर्घकालिक सफलता को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा इन सुधारात्मककदमों को उठाकर, कृत्रिम आर्द्रभूमियों की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और उनके सफल कार्यान्वयन की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. एक आर्द्रभूमि में 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' का क्या अर्थ होता है ? (UPSC- 2018)

A. इसे 'विश्व विरासत स्थल' का दर्ज़ा दिया गया है।
B. जिस देश में आर्द्रभूमि स्थित है, उस आर्द्रभूमि के किनारे से पाँच किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।
C. आर्द्रभूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं एवं परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिए वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
D. मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, या हो रहा है या होने की संभावना है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. आर्द्रभूमि से आप क्या समझते हैं ? आर्द्रभूमि और कृत्रिम आर्द्रभूमि में मुख्य अंतर को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में कृत्रिम आर्द्रभूमियों से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C की वर्त्तमान प्रासंगिकता

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – ' भारतीय संविधान, संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के नीति – निर्देशक सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31C से संबंधित कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' अनुच्छेद 31C, सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती मामला (1973), मौलिक अधिकार ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C की वर्त्तमान प्रासंगिकता ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के अस्तित्व और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता से संबंधित प्रश्न का निराकरण करने का फैसला किया है।
- न्यायाधीशों की इस पीठ का इस संबंध में दिए जाने वाले फैसले का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि क्या सरकार के पास भारत के नागरिकों के निजी संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्वितरण करने का अधिकार है अथवा नहीं है ?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C का परिचय और मुख्य उद्देश्य :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C का परिचय और मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –

- **परिचय :** अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो सामाजिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनों की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद अनुच्छेद 39B और 39C के अनुसार बनाए गए कानूनों को संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें समुदाय के भौतिक संसाधनों को सभी के लाभ के लिए आवंटित करना और धन और उत्पादन के साधनों को सामान्य हानि के लिए केंद्रित नहीं करना शामिल है।
- **उद्देश्य :** भारत में संविधान के अनुच्छेद 31C का मुख्य उद्देश्य राज्य के निदेशक तत्त्वों को समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार, आदि) द्वारा चुनौती दिए जाने पर संरक्षण प्रदान करना है।
- इस प्रावधान को 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, किन्तु इसके बाद भी भारत् में इसे कई महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में चुनौती दी गई और इसके प्रावधानों और शक्तियों की सीमा के संबंध में फिर से विचार किया गया।
- वर्तमान में, यह अनुच्छेद फिर से भारत में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी व्याख्या और वैधता को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी विचार-विमर्श जारी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के संबंध में कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ :

भारत में अनुच्छेद 31C के संबंध में कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

- **केशवानंद भारती मामला (1973) :** केशवानंद भारती मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने "संविधान के मूल ढाँचा सिद्धांत" की स्थापना की, जिसके अनुसार संविधान के कुछ मौलिक तत्त्व संविधान संशोधन से प्रतिरक्षित हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक भाग को यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि किसी विशिष्ट सरकारी नीति पर आधारित होने का दावा करने वाले कानूनों को उस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इससे भारत के उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 39(b) और 39 (C) के तहत पारित कानूनों की समीक्षा करने की अनुमति मिली।
- **भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, (CAA) 1976 और मिनर्वा मिल्स केस (1980) :** भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, (CAA), 1976 ने अनुच्छेद 31C के सुरक्षात्मक दायरे को बढ़ा दिया, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने CAA, 1976 के खंड 4 और 5 को रद्द कर दिया, जिससे संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार की सीमाओं को रेखांकित किया गया था।
- इसके अलावा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 31C के अस्तित्व पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C की वैधता और उसकी प्रयोज्यता पर एक बार फिर से कई नए प्रश्न उठे हैं।
- अनुच्छेद 31C के अस्तित्व और इसके अनुसार सरकार के अधिकारों की समीक्षा करने का निर्णय भारतीय लोकतंत्र और संविधान की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय न केवल संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि कैसे संविधान के मूल ढाँचे को संशोधनों के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 31C के संबंध में दिए जाने वाला विभिन्न तर्क :

- **स्वचालित पुनरुद्धार के विरुद्ध तर्क :** मूल अनुच्छेद 31C को 42वें संशोधन द्वारा एक विस्तारित संस्करण से प्रतिस्थापित किया गया था। जब मिनर्वा मिल्स मामले में इस विस्तारित संस्करण को रद्द किया गया, तो मूल संस्करण स्वचालित रूप से पुनर्जीवित नहीं हुआ क्योंकि एक बार प्रतिस्थापित होने के बाद, मूल प्रावधान को स्पष्ट रूप से बहाल किया जाना आवश्यक होता है।
- **पुनरुद्धार के सिद्धांत के पक्ष में दिए जाने वाला तर्क :** पुनरुद्धार के सिद्धांत के अनुसार,भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 31C को स्वचालित रूप से पुनर्जीवित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्णय से समर्थन मिलता है, जहाँ रद्द किए गए संशोधनों के कारण पिछले प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया था।
- **मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संघर्ष :** चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य (1951) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों की स्थिति नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी टकराव में प्रबल होगी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में, निर्णय दिया गया कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने ' संविधान के बुनियादी संरचना' के सिद्धांत को स्थापित किया और कहा कि भारत की संसद भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना में किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकती है।
- **मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1980) मामले** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संसद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि यह संविधान की मूल संरचना को हानि नहीं पहुँचाता हो।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31, 31A, 31B, और 31C का परिचय :

- भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों के तहत संपत्ति का अधिकार शामिल था।
- भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला यह मौलिक अधिकार काफी विवादास्पद रहा है, और 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था।
- भारत में इसके बाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग XII में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है।
- **अनुच्छेद 31A :** भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण और उसके प्रबंधन, निगमों के विलय, और खनन पट्टों के पुनर्निर्धारण या समाप्ति से संबंधित कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 31B :** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लं-

घन के आधार पर चुनौती देने से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हो सकता है ।

- **अनुच्छेद 31C :** भारत में अनुच्छेद 31C उन कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है जो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाया जा सकता है।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जिसके अनुसार भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता।
- इन अनुच्छेदों के तहत विभिन्न संशोधनों और निर्णयों के माध्यम से संपत्ति के अधिकार और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। इसमें केशवानंद भारती मामला भी शामिल है, जिसमें संविधान के मूल ढांचे की रक्षा और संविधान संशोधन की सीमाओं को परिभाषित किया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C की वर्तमान प्रासंगिकता :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C का वर्तमान महत्व इसके द्वारा दिए गए कानूनी संरक्षण में ही निहित है, जो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक वे कानून समुदाय के सामग्री संसाधनों को सामान्य हित में वितरित करने (अनुच्छेद 39(b)) और धन तथा उत्पादन के साधनों को सामान्य हानि के लिए "केंद्रित" नहीं करने (अनुच्छेद 39 C) के उद्देश्य से बनाए गए हों।
- इस अनुच्छेद के तहत, ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) या अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार, आदि) का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है ।
- वर्तमान में, भारत का उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अधिनियम, 1976 (MHADA) के अध्याय VIII-A की वैधता पर विचार कर रहा है, जिसमें अनुच्छेद 31C का उपयोग करके सार्वजनिक कल्याण के लिए विशेषकर मुंबई की सेस्ड प्रॉपर्टीज में संपत्ति अधिग्रहण को औचित्य सिद्ध किया गया है।
- इस मामले का निर्णय भविष्य में सामाजिक-आर्थिक विधान और संविधान के ढांचे के भीतर व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की व्याख्या को आकार देगा।

स्रोत : द हिन्दू, भारत का संविधान एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (UPSC – 2021)

A. लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
B. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
C. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
D. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य।

उत्तर – C

Q.2. भारतीय न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC – 2021)

1. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि भारत सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कभी भी बुलाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A. केवल 2
B. केवल 1
C. न तो 1 और न ही 2
D. 1 और 2 दोनों

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C से जुडी प्रमुख कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या हो सकती है अथवा उसका क्या समाधान हो सकता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के – ' भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, भारत की विविधता, भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का महत्त्व, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश से जुड़ी चुनौतियाँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनगणना 2011, जनसांख्यिकीय लाभांश, कुल प्रजनन दर (TFR), जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं । यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में जारी भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PM-EAC) के एक रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, **1950 से 2015** के बीच भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में **7.82%** की कमी आई है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या में **43.15%** की वृद्धि हुई है।
- इस रिपोर्ट के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना है कि भारत में विविधता को बढ़ावा देने का अनुकूल वातावरण है। हालांकि, इस रिपोर्ट के समय और उसके प्रस्तुतीकरण पर कुछ सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि यह डेटा पुराना है और इसे नए तरीके से पेश किया गया है।
- इस रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर यह भी बताया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि या स्थिरता महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों से सीधे जुड़ी होने के कारण हुआ है, न कि भारत के किसी भी व्यक्ति के धर्म के या उसकी धार्मिक पहचान के कारण हुई है।

विश्व भर में धार्मिक जनसंख्या के रुझानों पर PM-EAC की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष भारत के संदर्भ में इस प्रकार हैं –

- **OECD देशों की धार्मिक जनसंख्या में परिवर्तन :** सन 1950 से 2015 के बीच, 38 OECD देशों में से 30 में रोमन कैथोलिक धार्मिक समूह के अनुपात में कमी आई है।
- **वैश्विक स्तर पर धार्मिक जनसंख्या में गिरावट :** इसी अवधि में, 167 देशों में बहुसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या में औसतन 22% की गिरावट देखी गई। OECD देशों में यह गिरावट औसतन 29% थी।
- **अफ्रीका में धार्मिक परिवर्तन :** सन 1950 में, अफ्रीका के 24 देशों में जीववाद या स्थानीय मूल के लोग धार्मिक रूप से बहुसंख्यक के रूप में प्रमुखता थे, लेकिन 2015 तक इन देशों में से किसी में भी स्थानीय धर्म के अनुयायी बहुसंख्यक नहीं रहे।
- **दक्षिण एशिया में धार्मिक जनसंख्या की वृद्धि :** दक्षिण एशिया में बहुसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों की जनसंख्या में कमी आई है।

यह रिपोर्ट धार्मिक जनसंख्या के वैश्विक रुझानों को समझने में मदद करती है और विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक समूहों के बीच जनसंख्या गतिशीलता को दर्शाती है।

भारत में धार्मिक जनसंख्या के रुझानों का संक्षिप्त विश्लेषण :

- **हिंदू जनसंख्या :** 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में हिंदू जनसंख्या में 7.82% की कमी आई, जिससे भारत में अब हिंदू जनसंख्या लगभग 79.8% हो गई है।
- **अल्पसंख्यक जनसंख्या :** मुस्लिम जनसंख्या 9.84% से बढ़कर 14.095% हो गई, ईसाई जनसंख्या 2.24% से बढ़कर 2.36%, सिख जनसंख्या 1.24% से बढ़कर 1.85%, और बौद्ध जनसंख्या 0.05% से बढ़कर 0.81% हो गई।
- **जैन और पारसी समुदाय :** भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जैन जनसंख्या 0.45% से घटकर 0.36% हो गई, जबकि पारसी जनसंख्या में 85% की गिरावट के साथ यह 0.03% से 0.0004% रह गई।
- **प्रजनन दर :** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्तमान में 2 के आसपास है, जो वांछित TFR 2.19 के निकट है। हिंदुओं के लिए TFR 1991 में 3.3 से घटकर 2015 में 2.1 और 2024 में 1.9 हो गई। मुसलमानों के लिए TFR 1991 में 4.4 से घटकर 2015 में 2.6 और 2024 में 2.4 हो गई।
- **अल्पसंख्यकों को समान लाभ मिलना :** भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को समान लाभ मिलता है और वे सुखद जीवन जीते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर जनसांख्यिकीय बदलाव चिंता का विषय है।

यह विश्लेषण भारत में धार्मिक जनसंख्या के बदलते रुझानों और विभिन्न समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दरों को समझने में सहायक है।

जनसांख्यिकी प्रतिरूप और इसकी प्रासंगिकता :

जनसांख्यिकी प्रतिरूप : मानव जनसंख्या की विविधता और रुझानों का अध्ययन है। यह जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन, और जनसंख्या की संरचना जैसे तत्वों के विश्लेषण से उत्पन्न होता है।

प्रासंगिकता :

- **जनसंख्या की प्रवृत्तियों की समझ :** जनसांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण करके, हम समय के साथ जनसंख्या के पैटर्न या प्रणालियों की पहचान कर सकते हैं।
- **आधारभूत ढाँचा और सेवाओं की योजना :** यह जानकारी आधारभूत ढाँचा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, और सामाजिक सेवाओं की योजना बनाने में मदद करती है।
- **कारणों और परिणामों का विश्लेषण :** यह जनसंख्या में परिवर्तन के पीछे के कारणों और उनके परिणामों को समझने में सहायक है।
- **नीति निर्माण और कार्यान्वयन :** जनसांख्यिकीय जानकारी से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, और शहरी नियोजन से संबंधित नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन में मदद मिलती है।
- **बुजुर्ग जनसंख्या के लिए नीतियाँ :** वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों का निर्धारण।

यह स्पष्ट रूप से जनसांख्यिकीय प्रतिरूप और इसकी प्रासंगिकता को परिभाषित करता है।

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत :

- **माल्थसीय जनसंख्या सिद्धांत :** थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे ने वर्ष 1798 में अपने निबंध में जनसंख्या के विकास और संसाधनों की सीमाओं पर एक विचार प्रस्तुत किया था।

- **जनसंख्या वृद्धि की गति :** माल्थस ने बताया कि जनसंख्या एक ज्यामितीय अनुक्रम में बढ़ती है (उदाहरण: 1, 2, 4, 8, 16...), जबकि संसाधनों की वृद्धि एक अंकगणितीय अनुक्रम में होती है (उदाहरण: 1, 2, 3, 4, 5...), जिससे जनसंख्या संसाधनों की वृद्धि क्षमता को पार कर जाती है।
- **संसाधनों की सीमाएँ :** माल्थस ने दो मुख्य संसाधन सीमाओं की पहचान की – भोजन के लिए निर्वाह और पर्यावरण की जन-संख्या समर्थन क्षमता। उनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि से इन संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे अकाल, भूख, बीमारी, और संघर्ष जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी।
- **जनसंख्या नियंत्रण की जाँच :** माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो प्रकार की जाँच की पहचान की:
- **सकारात्मक जाँच :** प्राकृतिक कारक जैसे अकाल, बीमारी, और युद्ध जो जनसंख्या को कम करते हैं।
- **निवारक जाँच :** व्यक्तियों और समुदायों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लिए गए सचेत निर्णय, जैसे विलंबित विवाह, संयम, और जन्म नियंत्रण।

हालांकि, माल्थस की भविष्यवाणियाँ अंततः गलत साबित हुईं, क्योंकि कृषि प्रौद्योगिकी में उन्नति ने भारत जैसे देशों को खाद्य अधिशेष वाले देशों में परिवर्तित कर दिया।

जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत : जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों के साथ जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। जिसमें विभिन्न चरण होते हैं । जो निम्नलिखित है –

- **चरण 1: पूर्व औद्योगिक समाज** – इस चरण में, उच्च जन्म और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली और जन्म नियंत्रण की कमी के कारण जन्म दर अधिक होती है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बीमारियों के प्रसार के कारण मृत्यु दर भी अधिक होती है।
- **चरण 2: संक्रमणकालीन चरण** – औद्योगीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ, मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च रहती है, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है।
- **चरण 3: औद्योगिक समाज** – शहरीकरण, शिक्षा में वृद्धि, आर्थिक परिवर्तन, और महिला सशक्तीकरण के प्रभाव से जन्म दर में कमी आती है। इस चरण में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है।
- **चरण 4: उत्तर-औद्योगिक समाज** – जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होती हैं, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है या धीरे-धीरे बढ़ती है। जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे जा सकती है, जिससे जनसंख्या की उम्र बढ़ने और जनसांख्यिकीय असंतुलन की संभावना बढ़ जाती है।
- **चरण 5** – जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के पांचवें चरण में जहाँ जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाती है, जिससे जनसंख्या में कमी आती है। वहीं इस चरण में एक महत्वपूर्ण वृद्ध जनसंख्या और जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

समाधान / आगे की राह :

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा जारी रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक की अवधि में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि का विश्लेषण किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं।
- इस तरह की जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के समाधान के लिए विभिन्न नीतियों और उपायों पर चर्चा हो रही है।
- इस तरह की समस्या के समाधान के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों की समान पहुँच प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करना, और समावेशी विकास की नीतियों को अपनाना शामिल हैं।
- इसके अलावा, भारत में सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने वाली पहलें भी महत्वपूर्ण हैं।
- भारत की विविधता और बहुलतावादी संस्कृति को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी समुदायों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ाया जाए और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित किए जाएँ।
- भारत के नीति निर्माताओं, सामाजिक संगठनों, और नागरिक समाज के सदस्यों को मिलकर इस समस्या के समाधान के रूप में एकसाथ मिलकर काम करना होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत को सर्वाधिक जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश किस कारण से माना जाता है? (UPSC – 2021)

A. भारत में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की उच्च जनसंख्या।
B. भारत की कुल उच्च जनसंख्या।
C. भारत में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या।
D. भारत में 15-64 वर्ष के आयु वर्ग की कुल उच्च जनसंख्या।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" इस कथन के आलोक में यह चर्चा कीजिए कि भारत में जनसंख्या शिक्षा एवं जागरूकता के प्रमुख उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? (UPSC CSE – 2021)

बिहार के लीची किसानों को हीट वेव (कड़ी गर्मी) से खतरा

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के ' भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था, महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' लीची के बागों पर हीटवेव का प्रभाव, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), फसल बीमा योजना ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' बिहार के लीची किसानों को हीट वेव (कड़ी गर्मी) से खतरा ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों?

- बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची किसानों के समक्ष हीट वेव के कारण उत्पन्न हुई समस्या हाल के दिनों में खबरों में इसलिए है क्योंकि अप्रैल महीने में ही तापमान के **40 डिग्री सेल्सियस** तक पहुँचने से लीची की फसल पर बुरा असर पड़ने की आशंका है।
- कृषि विशेषज्ञों एवं मौसम वैज्ञानिकों का यह का मानना है कि **लीची के लिए अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।** इससे अधिक तापमान पर फलों के आकार में परिवर्तन हो सकता है, गुदा कम हो सकता है और गुठली का आकार बड़ा हो सकता है।
- इस वजह से लीची किसानों को इस वर्ष कम फूल आने की चिंता है और वे उत्पादन में कमी की आशंका से परेशान हैं।

हीट वेव ((कड़ी गर्मी) क्या होता है ?

- हीट वेव एक प्रकार की मौसमी स्थिति होती है जिसमें असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि होती है।

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यदि किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में **40°C** या उससे अधिक हो जाता है, और पहाड़ी इलाकों में **30°C** या उससे अधिक हो जाता है, तो वहाँ हीट वेव की स्थिति मानी जाती है।

सामान्य तापमान से विचलन के आधार पर हीट वेव की परिभाषा निम्नलिखित है –

- **हीट वेव**: जब सामान्य से तापमान का विचलन **4.5°C से 6.4°C** के बीच हो।
- **गंभीर हीट वेव**: जब सामान्य से तापमान का विचलन **6.4°C से अधिक** हो।

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर हीट वेव की परिभाषा इस प्रकार है –

- **हीट वेव**: जब वास्तविक अधिकतम तापमान **45°C** या उससे अधिक हो।
- **गंभीर हीट वेव**: जब वास्तविक अधिकतम तापमान **47°C** या उससे अधिक हो।

लीची उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण लीची उत्पादन के क्षेत्र में में आई प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

- लीची के फलों का विकास विशेष जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जहाँ अप्रैल माह के दूसरे भाग में अर्थात अप्रैल माह के दूसरी छमाही के दौरान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान लीची के फलों के उत्तम विकास के लिए आवश्यक होता है।
- जलवायु में आए इस परिवर्तन के कारण लीची के फलों के प्राकृतिक विकास में बाधा पहुँचती है, जिससे लीची के फल छोटे और कम मिठास वाले होते हैं।
- **लीची की फसल में कम उत्पादन की संभावना :** जलवायु परिवर्तन के कारण, लीची की फसल में देरी और पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में कमी की आशंका है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसान इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं।
- **भारत के कुल लीची उत्पादन में मुज़फ्फरपुर का महत्व :** बिहार का मुज़फ्फरपुर जिला और इसके आसपास के क्षेत्र, जो भारत के कुल लीची उत्पादन में लगभग 40% तक का योगदान देते हैं, वहां की फसल की स्थिति राष्ट्रीय उत्पादन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए, यहाँ की फसल की स्थिति का भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

भारत में हीट वेव (कड़ी गर्मी) से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :

बिहार में हालिया घटे हीट वेव (कड़ी गर्मी) से उत्पन्न चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

- **लीची के बागों पर हीटवेव का प्रभाव :** बिहार में तीव्र धूप और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण लीची के अपरिपक्व फलों की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे फलों की गुणवत्ता और उसके उत्पादन की मात्रा में कमी आई है।
- **राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL)** ने किसानों को बढ़ते तापमान का सामना करने और फसलों में नमी को बनाए रखने के लिए अधिक सिंचाई की सलाह दी है। हालांकि, छोटे किसानों के लिए फसलों में नमी को बनाए रखने के लिए अधिक सिंचाई की इस बढ़ी हुई लागत को वहन करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा हीट वेव से निपटने के लिए अपनाई गई पहल :

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा हीट वेव से निपटने के लिए निम्नलिखित पहलों और उपकरणों को अपनाया गया है –

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना :

- **समय पर पूर्वानुमान जारी करना :** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा अग्रिम रूप से, अक्सर कई दिनों पहले, हीट वेव के

लिए चेतावनियाँ और पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

- **रंग-कोडित प्रणाली के तहत अलर्ट जारी करना :** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा हीट वेव की गंभीरता को वर्गीकृत करने के लिए रंग-कोडित प्रणाली (पीला, नारंगी, लाल) का उपयोग किया जाता है।

सहयोग और कार्य योजनाएँ :

- **योजनाओं का विकास और क्रियान्वयन करना :** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) साझेदारी में हीट वेव से निपटने के लिए योजनाओं का विकास और क्रियान्वयन करते हैं।
- **जन जागरूकता अभियान चलाना :** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जनता को हीट वेव के जोखिमों और उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।
- **तापमान और आर्द्रता के संयोजन से हीट वेव का अधिक सटीक मूल्यांकन से संबंधित हीट इंडेक्स विकसित करना :** भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक हीट इंडेक्स विकसित किया है जो तापमान और आर्द्रता के संयोजन से हीट वेव का अधिक सटीक मूल्यांकन करता है और जनता को हीट इंडेक्स के माध्यम से जागरूकता प्रदान करता है।

नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना :

- **मोबाइल ऐप्स के माध्यम से हीट वेव से संबंधित चेतावनियों और मौसम की जानकारी प्रदान :** 'मौसम' जैसे IMD के मोबाइल ऐप्स उपयोगकर्ताओं को उनके स्मार्टफोन पर सीधे हीट वेव से संबंधित चेतावनियों और मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं।
- **वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से मौसम की जानकारी और हीट वेव अलर्ट साझा करना :** भारत मौसम विज्ञान विभाग, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौसम की जानकारी और हीट वेव अलर्ट से संबंधित जानकारियों को साझा करता है।

इन पहलों के माध्यम से,भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) हीट वेव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने के लिए समुदाय को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

समाधान / आगे की राह :

बिहार में लीची किसानों के सामने हीट वेव के कारण उत्पादन में कमी की चुनौतियाँ मौजूद है। इस समस्या का समाधान और आगे की राह इस प्रकार की हो सकती है –

- **जल संरक्षण और जल संचयन तकनीकों का उपयोग करना :** भारत में लीची किसानों को जल संचयन तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग का उपयोग करके पानी की बचत की जा सकती है।
- **छायांकन / अस्थायी शेड नेट का उपयोग करना :** भारत में लीची किसानों को पेड़ों को छाया प्रदान करने के लिए अस्थायी शेड नेट का उपयोग करना चाहिए ताकि लीची के फलों को सीधे धूप से बचाया जा सके।
- **कृषि विज्ञान केंद्रों से वैज्ञानिक सलाह लेना :** भारत में लीची किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों से सलाह लेकर लीची की फसलों की देखभाल के लिए उचित तरीके अपनाने चाहिए।
- **फसल बीमा योजनाओं का लाभ उठाना :** भारत में लीची किसानों को फसल बीमा योजनाओं का लाभ उठाकर लीची के फलों की उत्पादन की अनिश्चितताओं से बचाव किया जा सकता है।
- **वैकल्पिक फसलों की खेती पर ध्यान देना :** भारत में लीची किसानों को गर्मी केअनुकूल फसलों की ओर रुख करना भी एक विकल्प हो सकता है। जिससे उन्हें अन्य फसलों के उत्पादन जैसे विकल्प भी मिल सकता है और वे गर्मी के अनुकूल होने वाले फसलों का उत्पादन कर सकते हैं।
- भारत में किसानों को लीची के फलों से संबंधित नवीनतम अनुसंधान और तकनीकों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और

सरकारी सहायता और सब्सिडी का लाभ भी उठाना चाहिए।

- इसके अलावा, बिहार के लीची किसानों को बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन और विपणन रणनीतियों को भी समझना जरूरी है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में हीट वेव (कड़ी गर्मी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC – 2022)

1. भारत में लीची के उत्पादन के लिए अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
2. जब तापमान का विचलन 4.5°C से 6.4°C के बीच हो, तो उसे हीट वेव माना जाता है।
3. जब तापमान का विचलन 6.4°C से अधिक हो तो उसे गंभीर हीट वेव माना जाता है।
4. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीट वेव की गंभीरता को वर्गीकृत करने के लिए रंग-कोडित प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3
B. केवल 2, 3 और 4
C. केवल 1 और 4
D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हीट वेव से आप क्या समझते हैं ? भारत में हीट वेव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए इसके समाधान की तर्कसंगत एवं विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। (UPSC – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का वैश्विक व्यापार अपडेट 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के ' भारतीय शासन व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UNCTAD और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के ' भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि एवं विकास और संसाधनों का संग्रहण ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इलेक्ट्रिक कार, उत्पादन – आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का वैश्विक व्यापार अपडेट 2024' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने हाल ही में अपना वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार में कई तिमाहियों की गिरावट के बाद भी वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुनः वृद्धि की ओर अग्रसर है।
- इस अपडेट में वैश्विक आर्थिक विकास की दर 2.6% बताई गई है, जो मंदी के दौर की सामान्य दर 2.5% से थोड़ी अधिक है।
- इसके अलावा, UNCTAD ने अपनी **60वीं वर्षगाँठ** के उपलक्ष्य में खुद को **" संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास "** के रूप में पुनः ब्रांड किया है।
- **इस नए ब्रांड के साथ, संगठन ने अपने नए नाम और लोगो को संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में सभी आधिकारिक चैनलों पर अपनाने की घोषणा की है।**
- यह परिवर्तन विकासशील देशों के पक्ष में अपनी आवाज को और अधिक प्रभावी बनाने और उनके हितों को वैश्विक आर्थिक निर्णयों में केंद्रीय बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्ष 2023 के संदर्भ में वैश्विक व्यापार की समीक्षा :

- **वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार की स्थिति :** पिछले वर्ष की तुलना में, 2023 में वैश्विक व्यापार में **3% की कमी** आई, जिससे यह **31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** पर आ गया। इस मंदी के पीछे मुख्य कारण विकसित देशों में घटती मांग और पूर्वी एशिया तथा लैटिन अमेरिका में अस्थिरता थी।
- **वस्तु और सेवा व्यापार का विश्लेषण :** वस्तुओं के व्यापार में **5% की गिरावट** देखी गई, जबकि सेवाओं के व्यापार में **8% की वृद्धि** हुई, जिसमें पर्यटन और यात्रा संबंधित सेवाओं में **40% की बढ़ोतरी** ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **विकासशील देशों की चुनौतियाँ :** विकासशील देशों में आयात और निर्यात दोनों में क्रमशः **5% और 7% की कमी** आई, जबकि विकसित देशों में आयात में **4%** और निर्यात में **3% की गिरावट** दर्ज की गई। अफ्रीका ने अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि दर्ज की, जो एक सकारात्मक अपवाद था।
- **पर्यावरण अनुकूल व्यापार में वृद्धि :** पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों, विशेषकर इलेक्ट्रिक कारों के व्यापार में **2% की वृद्धि** हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापार में **60% की बढ़ोतरी** देखी गई।
- **वर्ष 2023 के अंत में व्यापार के क्षेत्र में स्थिरता के संकेत :** वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही में विकासशील क्षेत्रों में स्थिरता के संकेत दिखाई दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर व्यापार में अधिकांश क्षेत्रों में सुधार हुआ है , हालांकि परिधान उद्योग से संबंधित व्यापार में **13% की गिरावट** जारी रही थी।

वर्ष 2024 के लिए वैश्विक व्यापार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) का पूर्वानुमान :

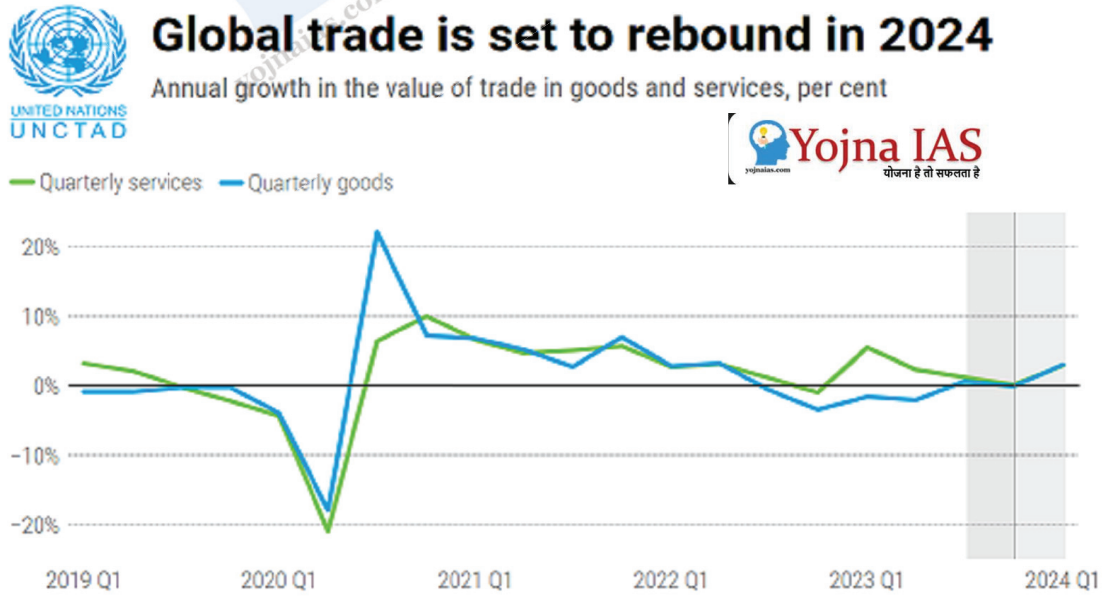

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) का वर्ष 2024 के लिए वैश्विक व्यापार पूर्वानुमान एक सकारात्मक और आशावादी रुख अपनाता है, जिसमें **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 3% की वृद्धि** की संभावना जताई गई है।

- वैश्विक व्यापर के संदर्भ में भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाल सागर, काला सागर, और पनामा नहर में नौवहन मार्गों में उत्पन्न नई बाधाएँ आर्थिक विकास के लिए जोखिम पैदा करती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत सामानों की लागत में वृद्धि और समय पर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा बना रहता है।
- भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष ऊर्जा और कृषि बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग कीमतों पर असर डाल सकती है और इन वस्तुओं के बाजार में अस्थिरता ला सकती है।
- व्यापार और राजनीति के संदर्भ में, पिछले दो वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भौगोलिक निकटता स्थिर रही है, जिससे निकट-तटीय या अपतटीय व्यापार की प्रवृत्ति कम देखी गई है। हालांकि, 2022 के उत्तरार्ध से व्यापार की राजनीतिक निकटता में वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि समान भू-राजनीतिक स्थितियों वाले देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अधिक सुगम हो गया है। इसके साथ ही, प्रमुख व्यापार संबंधों के पक्ष में वैश्विक व्यापार का समर्थन बढ़ा है, यद्यपि यह प्रवृत्ति 2023 की अंतिम तिमाही में कम हो गई है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का परिचय :

- **संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंतरसरकारी निकाय होने के नाते, UNCTAD की स्थापना 1964 में हुई थी।**
- इसका मुख्यालय **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में स्थित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वित्त, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से, विशेषकर विकासशील देशों में, **सतत् विकास को बढ़ावा देना** है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का कार्य क्षेत्र :

UNCTAD के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं –

1. **व्यापार एवं विकास को बढावा देना :** वैश्विक व्यापार को समर्थन देना और विकासशील देशों के बीच व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ावा देना इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है।
2. **निवेश एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करना :** इसका एक प्रमुख कार्य वैश्विक स्तर पर व्यापारिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
3. **तकनीक एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करना :** इसका एक महत्वपूर्ण कार्य वैश्विक स्तर पर नवीन प्रौद्योगिकी का विकास और उसका हस्तांतरण करना भी है ।
4. **समष्टि अर्थशास्त्र और विकास नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना :** विकासशील देशों के लिए समष्टि आर्थिक नीतियों का निर्माण और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में UNCTAD की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस प्रकार, UNCTAD विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का भारत से संबंधित रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

भारत के संदर्भ में मुख्य अवलोकन :

- भारत ने चीन से अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए **Quality Control Orders (QCOs) और Production-Linked Incentive (PLI)** योजनाओं को अपनाया। फिर भी, भारत का चीन से व्यापारिक आयात में वृद्धि देखी गई है।
- हाल में चल रहे रूस-यूक्रेन के बीच का युद्ध संघर्ष के परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों

का पुनर्निर्धारण हुआ है , जिसमें चीन पर रूस की निर्भरता **7.1%** बढ़ी है, जबकि यूरोपीय संघ पर उसकी निर्भरता **5.3%** घटी है।

- इसका मुख्य कारण रूसी तेल का यूरोपीय संघ से चीन और भारत की ओर स्थानांतरण करना था।

वैश्विक स्तर पर व्यापारिक संबंधों के तहत भारत सरकार का रुख :

- भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक स्तर पर भारत की अन्य देशों के साथ बढ़ती व्यापारिक निर्भरता प्रतिकूल और जटिल प्रतीत हो सकती है, परंतु इस संदर्भ में गहन और विस्तृत विश्लेषण करने से से सकारात्मक व्यापारिक गतिशीलता का पता चलता है।
- वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ से भारत के आयात में **9.7%** की वृद्धि हुई थी , जिसमें पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं तथा कच्चे माल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है।
- भारत का स्मार्टफोन निर्यात 2023 में **98.42%** बढ़कर **14.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया, जो 2022 में **7.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
- इस प्रकार, 2023 में यूरोपीय संघ और चीन के साथ भारत के व्यापार संबंधों में सुधार हुआ है।

समाधान / आगे की राह :

1. वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की रिपोर्ट ने 2023 में वैश्विक व्यापार में आई 3% की गिरावट के बावजूद, 2024 में सुधार की संभावना व्यक्त की है। 2023 में व्यापार का मूल्य 31 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि 2022 के 32 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से 1 ट्रिलियन डॉलर कम है।
2. इस गिरावट के पीछे भू-राजनीतिक तनाव एवं अनिश्चितताएं और क्षेत्रीय संघर्ष की चुनौतियां प्रमुख कारण है।
3. वैश्विक व्यापर के संदर्भ में इन अस्थिरता के बावजूद भी वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है, **जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं –**
4. **मुद्रास्फीति में नरमी :** मुद्रास्फीति की दरें स्थिर होने से व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यह अनिश्चितता और लागत में उतार-चढ़ाव को कम करता है।
5. **आर्थिक विकास के बेहतर पूर्वानुमान व्यापार को बढ़ावा देना :** दुनिया भर में आर्थिक विकास के अनुकूल पूर्वानुमान व्यापार को बढ़ावा देते हैं।
6. **पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की बढ़ती माँग :** वैश्विक स्तर पर व्यापार में स्थिरता और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की बढ़ती माँग से व्यापार में वृद्धि होती है।
7. **नौवहन मार्गों में व्यवधान, राजनीतिक संघर्ष, और आवश्यक खनिजों की ससमय आपूर्ति में कमी होना :** वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर व्यापार के सामने आने वाली चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नौवहन मार्गों में व्यवधान, राजनीतिक संघर्ष, और आवश्यक खनिजों की आपूर्ति में कमी होना भी है।
8. इन चुनौतियों के बावजूद भी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) का अनुमान है कि 2024 में वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में आवश्यक सुधार होगा।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का वैश्विक व्यापार अपडेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वैश्विक व्यापार अपडेट विश्व बैंक के मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है।
2. UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में, सतत् विकास को बढ़ावा देना है।
4. UNCTAD ने अपनी 60वीं वर्षगाँठ पर अपना नाम संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के रूप में नामित किया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 3
D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का वैश्विक व्यापार अपडेट 2024 के प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि UNCTAD का भारत के संदर्भ में मुख्य अवलोकन क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE – 2022 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिकीकरण बनाम खतरे में सुंदरबन अभयारण्य

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के ' जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण, सुंदरबन से जुड़ी चुनौतियाँ, पर्यावरण प्रदूषण ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' खारे पानी का मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, ओलिव रिडले कछुए, बंगाल की खाड़ी और सुंदरबन ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिकीकरण बनाम खतरे में सुंदरबन अभयारण्य ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही भारत के पर्यावरणविदों के अध्ययन के आधार पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य को स्वच्छ जल की कमी, माइक्रोप्लास्टिक्स और रसायनों से प्रदूषण तथा तटीय कटाव सहित कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- इससे भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र सुंदरबन अभयारण्य का अस्तित्व गंभीर खतरे में है।
- पर्यावरणविदों के अध्ययन के आधार पर जारी इस रिपोर्ट केअनुसार वर्तमान समय में इस पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरे से उबारने के लिए या इसकी सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान को तलाशना अत्यंत जरूरी है।

सुंदरबन अभयारण्य का परिचय :

- सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह वनस्पतियों, जीवों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचर प्रजातियों को आश्रय प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।
- **मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र** : सुंदरबन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच भूमि और समुद्र के बीच स्थित एक पारिस्थितिकी तंत्र है।
- **वनस्पति और जीव :** यहां दलदल (खारे और स्वच्छ जल की वनस्पतियाँ) और अंतर-ज्वारीय मैंग्रोव पायी जाती हैं। यह वन्यजीवों के लिए एक अभयारण्य है, जिसमें खारे पानी के मगरमच्छ, वॉटर मॉनिटर लिज़र्ड, गंगा डॉल्फिन, और ओलिव रिडले कछुए शामिल हैं।
- **सुंदरबन का संरक्षण :** सुंदरबन का 40% भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को द्वारा भारत में 1987 में और बांग्लादेश में 1997 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे रामसर अभिसमय या रामसर सम्मेलन के अंतर्गत भी 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि' के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **प्रोजेक्ट टाइगर :** सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर की संरक्षा के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' कार्यक्रम चलाया जाता है, जिससे चराई को कम किया जा सके और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सके।
- **सुंदरबन एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र :** सुंदरबन में एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में बाघों की सुरक्षा, पौधों एवं जानवरों की अन्य प्रजातियों के लिए भी एक विशाल आवास स्थल को भी सुरक्षित करना शामिल है।
- **सुंदरबन की निगरानी तथा संरक्षण की जरूरत :** वर्ष 2011 में भारत एवं बांग्लादेश द्वारा सुंदरबन की निगरानी तथा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए, सुंदरबन के संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

सुंदरबन के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ :

सुंदरबन के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

1. **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि :** सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र मैंग्रोव वन मत्स्य प्रजातियों के लिए तटरेखा संरक्षण और मत्स्य पालन के लिए प्राकृतिक तालाबों जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं। वनों की कटाई होने के कारण ये सेवाएं बाधित हो रही है, जिससे तटीय समुदायों के साथ – साथ मत्स्य पालन भी प्रभावित होता है।
2. **प्रदूषकों का प्रभाव :** सुंदरबन के आस-पास के शहरी क्षेत्रों और सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र से ब्लैक कार्बन कणों से युक्त प्रदूषक सुंदरबन की वायु गुणवत्ता को न्यून कर रहे हैं, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। ये वायु प्रदूषक सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी एवं जैव-भू-रसायन विज्ञान को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं।
3. **ताज़े जल की कमी :** नदियों की मुख्य रूप से खारी प्रकृति के कारण सुंदरबन में मीठे पानी की कमी होती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और निवासियों की आजीविका दोनों प्रभावित होती हैं।
4. **महासागरों का बढ़ता स्तर :** जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप, महासागरों के बढ़ते जलस्तर से निचले स्तर के मैंग्रोव के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। खारे जल की अधिकता के परिणामस्वरूप उनका संतुलन बाधित हो रहा है और यह स्थिति चक्रवातों के दौरान तूफान के प्रति उन्हें अधिक संवेदनशील बना रही है।
5. **चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि :** जलवायु परिवर्तन ने चक्रवात पुनरावृत्ति और तीव्र तूफानों के खतरे को बढ़ा दिया है। ये चक्रवात मैंग्रोव को हानि पहुँचा सकते हैं, जिससे भौतिक क्षति हो सकती है, साथ ही उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण तलछट प्रणाली बाधित हो सकती है।
6. **वन्यजीवों को खतरा :** वैश्विक स्तर पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में भी मैंग्रोव आवासों के नष्ट होने से संकटापन्न या लुप्तप्राय प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं।
7. **नकदी और खाद्य फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव :** सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र में नकदी फसलों (ऑयल पाम) और खाद्यान्न उत्पादन (धान) के लिए मैंग्रोव वनों को काटकर या इसका रूपांतरण इनको नष्ट कर सकता है। इससे न केवल इन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उपलब्ध क्षेत्र कम हो जाता है, बल्कि वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र भी खंडित और क्षेत्रफल के आधार पर सीमित हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता भयंकर रूप से प्रभावित होती है।
8. **मैंग्रोव विविध मोलस्क और क्रस्टेशियंस के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल :** भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन मैंग्रोव विविध मोलस्क और क्रस्टेशियंस जैसे जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, लेकिन इन प्रजातियों की प्रजनन प्रथाओं और वायु प्रदूषण के संदूषित निर्वहन के कारण वे लुप्त हो रहे है।

समाधान / आगे की राह :

सुंदरबन के मुख्य चुनौतियों का निम्नलिखित तरीके को अपनाकर समाधान किया जा सकता है –

1. **नदी तटों का संरक्षण करके :** सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र को वेटिवर जैसी गैर-स्थानिक प्रजातियों की बजाय वाइल्ड राइस, मायरियोस्टैच्या वाइटियाना, बिस्किट ग्रास, और साल्ट काउच ग्रास जैसी स्थानिक प्रजातियों को उगाकर इसके नदी तटों का स्थिरीकरण किया जा सकता है और उसके क्षरण को रोका जा सकता है।
2. **धारणीय कृषि को प्रोत्साहन देकर :** किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को मृदा-सहिष्णु धान की किस्मों और जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाकर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए किसानों की कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाई जा सकती है।
3. **वर्षा जल का संचयन करके :** वर्षा जल संचयन और जल-संभरण/वाटरशेड विकास पहलों को लागू कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
4. **स्वास्थ्य की दृष्टि से अपशिष्ट जल उपचार पद्धति को अपनाकर :** भारत में सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र या अन्य पारिस्थितिकी तंत्र अथवा राष्ट्रीय उद्यानों में अपशिष्ट जल उपचार के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं और सूक्ष्म-जीवों, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया का उपयोग करके जल की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
5. **भारत – बांग्लादेश द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से :** भारत-बांग्लादेश संयुक्त कार्य-समूह (JWG) को सुंदरबन और उस पर निर्भर समुदायों के लिए जलवायु अनुकूल योजना बनाने और उसे लागू करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड में परिवर्तित किया जा सकता है।
6. **नवोन्मेषी समाधान उपायों को अपनाकर :** भारत में सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र या अन्य पारिस्थितिकी तंत्र अथवा राष्ट्रीय उद्यानों को सुधारात्मक उपायों को अपनाकर इसके क्षरण होने से या इसको गंभीर खतरे बचाया जा सकता है। उन सुधारात्मक उपायों में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन, विद्युत परिवहन, सब्सिडीयुक्त LPG, विनियमित पर्यटन, प्रदूषक कारखानों को बंद करना, ईंट भट्टों और भूमि उपयोग का विनियमन, और तटीय विनियमों को सशक्त बनाना शामिल है।
7. **विविध और बहु – क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाकर :** भारत में सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र या अन्य पारिस्थिति-की तंत्र अथवा राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा भागीदारी करके और बहुआयामी योजना के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपना कर इसे बचाया जा सकता है।

स्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। (UPSC – 2019)

1. बांदीपुर
2. भीतरकनिका
3. मानस

4. सुंदरबन

उपर्युक्त में से किसे भारत में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2, 3 और 4
C. केवल 1, 3 और 4
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

Q.2. भारत की जैव – विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे-चिन्ड मिनिवेट और ह्वाइट-थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? (UPSC – 2020)

A. पक्षी
B. प्राइमेट
C. सरीसृप
D. उभयचर

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में होने वाली प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि इस क्षेत्र में सतत् विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए क्या चुनौतियाँ है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Q.2. भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। (UPSC CSE – 2022)

Q.3. "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। (UPSC CSE – 2018)